मि0 सं0
87 / 12

तारीख दायरा
2.07.2021

तारीख फैसला
13.9.22

पीठासीन अधिकारी -- श्रीमति हरबिन्दर डी0 सिंह आर.ए.एस.

सुरेन्द्र आत्मज रमेश चन्द नागर जाति धाकड निवासी पंडित दीनदयाल नगर कोटा
(वादी)

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज लाला जाति धाकड निवासी स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा
2. धनश्याम आत्मज लाला जाति धाकड निवासी रायपुरा कोटा
3. जगन्नाथी पुत्री लाला पत्नि भेरूलाल जाति धाकड निवासी पांटूदा तह0 अन्ता जिला कोटा
4. गीता बाई पुत्री लाला पत्नी रामदयाल जाति धाकड निवासी श्रीनाल तह0 पीपल्दा
5. राधाकिशन आत्मज मोहनलाल जाति धाकड निवासी धतूरिया तह0 अन्ता
6. श्याम पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी धतूरिया तह0 अन्ता जिला बांरा
7. ममता बाई पुत्री मोहनलाल पत्नी देवकीनन्दन जाति धाकड निवासी कोटडी जिला बांरा
8. कमलेश पुत्री मोहनलाल पत्नी शिवराज जाति धाकड निवासी हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा
9. धन्नी बाई पुत्री मोहनलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तह0 मांगरोल जिला बांरा
10. छोटी बाई पुत्री मोहनलाल , पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी मियाणा तहसील व जिला बांरा
11. रामनारायणी बेवा मोहनलाल जाति धाकड निवासी धतूरिया तह0 अन्ता जिला बांरा
12. पन्सूरी बाई बेवा रमेशचन्द जाति धाकड निवास पंडित दीनदयाल नगर , कोटा
13. राजस्थान सरकार

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :- श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :- जितेन्द्र शर्मा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :– संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेरूला तह0 दीगोद जिला कोटा के ख0न0 202 / 626 रकबा 0.98 है0 , 392 की 0.53 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 भूमि वादी के दादा लाला आत्मज रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।

यह कि खातेदार लाल जी का देहवासान ... और लाल जी के चार पुत्र मोहलाल , राधेश्याम, घनश्याम व श्याम तथा दो पुत्रियां ... है इन सभी का उक्त भूमि में 1/6, 1/6 हिस्सा है। मोहनलाल की मृत्यू हो चुकी है उसके ... प्रतिवादी नम्बर 5 ता 11 है व रमेश चन्द की मृत्यु हो चूकी है उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी ... 12 है। इस प्रकार ... भूमि में वादी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी न0 12 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1,2,3,4 प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी न0 5 ता 11 का 1/6 हिस्सा बनता है तथा इसी अनुसार शामलाती रूप से भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसमें लाल के वारिसान का बराबर–बराबर हिस्सा है।

यह कि ग्राम खैरूला कि उक्त भूमि कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी न0 12 को 1/6 हिस्से, प्रतिवादी न0 1,2,3,4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से, प्रतिवादी न0 5 ता 11 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित किया जावे।

यह कि ग्राम खैरूला कि उक्त भूमि कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित की जावे व विभाजन में प्राप्त भूमि अलग खाते दर्ज की जावे।

यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में लाला जी का फोती इंतकाल खुलवाने, वादी व प्रतिवादीगण का नाम अंकित करा कर विभाजन करने की बात कहने पर उनके द्वारा मना करने पर पैदा हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषण एवं विभाजन का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतः वाद पेश कर वादी द्वारा निवेदन किया है कि वाद के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

(1) कि ग्राम खैरूला कि उक्त भूमि कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी न0 12 को 1/6 हिस्से, प्रतिवादी न0 1,2,3,4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से, प्रतिवादी न0 5 ता 11 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित किया जावे।

(2) ग्राम खैरूला कि उक्त भूमि कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित की जावे व विभाजन की डिक्री पारीत की जावे व विभाजन में प्राप्त भूमि अलग खाते दर्ज की जावे।

वादीगण की और से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :–

1. नकल जमाबन्दी संवत् 2075--2078 ग्राम खेरूला तह0 दीगोद
2. नकल मृत्यू प्रमाण पत्र मोहन लाल पुत्र लाला व रमेशचन्द पुत्र लालाराम

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब दावा सहमति परक प्रस्तुत कर विशेष कथन निम्न प्रकार किया है:– यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार है। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री कर दिया जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 को कोई आपत्ति नही है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामें के अनुसार उक्त दावे को डिक्री करना चाहते है इसमें प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है व कोई आपत्ति नही है। उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :–

यह कि पक्षकारान के मध्य आपस में समझौता हो गया है जिसके अनुसार पक्षकारान के मध्य पृथक – पृथक भूमि निम्नानुसार है।

- यह कि वादी सुरेन्द्र व प्रतिवादी न0 12 के शामिल हिस्से के हिस्सें में ग्राम खेरूला तह0 दीगोद के ख0न0 202/626 रकबा 0.98 है0 भूमि की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

- यह कि प्रतिवादी न0 5 राधाकिशन तथा प्रतिवादी न0 6 श्याम के हिस्से में आयी भूमि ग्राम खेरूला ख0न0 392 रकबा 0.53 है0 दर्ज की जावे।
- यह कि प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 एवं प्रतिवादी न0 7 लगायत 11 अपना हिस्से का हक त्याग अपने भाई व भतिजे के पक्ष में हक त्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी न0 3,4 की शादी अन्य जगह हो गयी है एवं प्रतिवादी कम 7 लगायत 10 की भी शादी हो चुकी है जो अपना सम्पूर्ण हिस्सा नही लेना चाहती है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 व प्रतिवादी कम 7 लगायत 11 उक्त आराजी में अपना हिस्सा नही लेना चाहते है। अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया है। इस कारण नाम प्रतिवादी न0 1 लगायत 4 तथा प्रतिवादी कम 7 लगायत 11 नाम डिलिट किया जावे।

अतः वाद में राजीनामा पेश कर प्रार्थना है कि वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिकी फरमा दिया जावे।

वाद में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिकी करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। तहसीलदार दीगोद से प्रकरण में खातेदार लाला पुत्र रामचन्द्र के वारिसान की जॉच रिपोर्ट तलब की गयी जो कि पत्रांक भू0अ0/ 22/ 1790 दिनांक 13.05.2022 से प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। उभय पक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा व तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया किये जाने योग्य है । वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 12 में राजीनामा प्रस्तुत किया है :- ग्राम खेरूला तहसील दीगोद के ख0न0 202/626 रकबा 0.98 है0 , 392 की 0.53 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक विभाजन अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 एवं 7 लगायत 11 द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग करने पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल करते हुये निर्णय अनुसार पालना की जावे। अतः वादी का वाद पत्र सहमति पूर्वक राजीनामा के आधार र स्वीकार किया जाता है।

वादी एवं प्रतिवादी न0 12 के हिस्से में निम्न भूमि हिस्सा बराबर :-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
खेरूला	202/626	0.98 है0

प्रतिवादीगण न0 5 व 6 के हिस्से में निम्न भूमि हिस्सा बराबर :-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
खेरूला	392	0.53 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक निर्णय अनुसार उक्तानुसार राजस्व रि[illegible] अमल दरामद किया जाये तदनुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.9.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज. अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

सुरेन्द्र आत्मज रमेश चन्द नागर जाति धाकड निवासी पंडित दीनदयाल नगर कोटा

(वादी)

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज लाला जाति धाकड निवासी स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा
2. धनश्याम आत्मज लाला जाति धाकड निवासी रायपुरा कोटा
3. जगन्नाथी पुत्री लाला पत्नि भेरूलाल जाति धाकड निवासी पांटूदा तह0 अन्ता जिला कोटा
4. गीता बाई पुत्री लाला पत्नी रामदयाल जाति धाकड निवासी श्रीनाल तह0 पीपल्दा
5. राधाकिशन आत्मज मोहनलाल जाति धाकड निवासी धतूरिया तह0 अन्ता
6. श्याम पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी धतूरिया तह0 अन्ता जिला बांरा
7. ममता बाई पुत्री मोहनलाल पत्नी देवकीनन्दन जाति धाकड निवासी कोटडी जिला बांरा
8. कमलेश पुत्री मोहनलाल पत्नी शिवराज जाति धाकड निवासी हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा
9. धन्नी बाई पुत्री मोहनलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तह0 मांगरोल जिला बांरा
10. छोटी बाई पुत्री मोहनलाल , पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी मियाणा तहसील व जिला बांरा
11. रामनारायणी बेवा मोहनलाल जाति धाकड निवासी धतूरिया तह0 अन्ता जिला बांरा
12. पन्सूरी बाई बेवा रमेशचन्द जाति धाकड निवास पंडित दीनदयाल नगर , कोटा
13. राजस्थान सरकार

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि ग्राम खैरूला तह0 दीगोद जिला कोटा स्थित खसरा नम्बर 202/626 रकबा 0.98 है0, ख0न0 392 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 आराजी भूमि का उभय पक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है। [illegible] भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सहमति से उभय पक्ष के मध्य राजीनामा स्वीकार किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वादी एवं प्रतिवादी न0 12 के हिस्से में निम्न भूमि हिस्सा बराबर :–

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
खेरूला	202 / 626	0.98 है0

प्रतिवादीगण न0 5 व 6 के हिस्से में निम्न भूमि हिस्सा बराबर :–

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
खेरूला	392	0.53 है0

प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 एवं 7 लगायत 11 द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग करने पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल करते हुये निर्णय अनुसार पालना की जावे।

अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। उभय पक्ष में सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.09.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested